न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 75/2024
प्रार्थी :-

1. श्रीमति इन्द्रा पत्नी भीयाराम जाति सीरवी निवासी सीरवीयों का बास ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थी - श्री अजीतसिंह राठौड एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1-सरकारी पैरोकार

आदेश **दिनांकः-** 13/05/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जसवन्तपुरा, पटवार हल्का पिचियाक, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 201/12 रकबा 0.7686 हैक्टेयर आई हुई है। जिसके खाता संख्या जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के अनुसार 248 है। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी, खरीदसुदा भूमि है, जिस पर प्रार्थी काबिज है। उक्त भूमि प्रार्थी ने पूर्व में खातेदार हवलीदेवी पत्नी श्री घेवरराम, जाति कीर निवासी जसवन्तपुरा से दिनांक 12.7.22 को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा के खरीद की थी। जो बैचाननामा का दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय बिलाड़ा में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 571 पृष्ठ संख्या 157 क्रम संख्या 202203056103329 पर पंजीबद्धसुदा है। उक्त भूमि खरीद के पश्चात् से ही प्रार्थी उक्त भूमि पर बतौर मालिक की हैसियत से काबिज है तथा प्रार्थी की उक्त खरीदसुदा भूमि की तरमीम लटठा ट्रेस नक्शे में हो रखी है। प्रार्थी उपरोक्त भूमि पर मौके पर वक्त खरीद से काबिज काश्त चली आ रही है। उपरोक्त खसरा की भूमि की लटठा ट्रेस में तरमीम हो रखी है तथा राजस्व रेकर्ड आनलाईन नक्शा ट्रेस में भूमि की तरमीम नही की हुई है जिसके कारण मौके पर हमेशा माठ को लेकर विवाद बना रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 201/12 पर काबिज काश्त है लेकिन हल्का पटवारी द्वारा उक्त खसरा की भूमि की तरमीम लटठा ट्रेस नक्शे में तो बैचाननामा अनुसार की जा चुकी है लेकिन राजस्व नक्शा आनलाईन आज दिन तक तरमीम नही की है. जिस कारण प्रार्थी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसको लटठा ट्रेस नक्शे अनुसार राजस्व आनलाईन नक्शा में तरमीम किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है।

अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम जसवन्तपुरा तहसील बिलाड़ा की खसरा नम्बर 201/12 रकबा 0.7686 हैक्टेयर की तरमीम लटठा ट्रेस नक्शा अनुसार आनलाईन नक्शे में करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। अन्य उचित आदेश जो प्रार्थी के पक्ष में हो अता फरमावे ।

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये समन से तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब मय नजरी नक्शा पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जसवन्तपुरा पटवार मण्डल पिचियाक

तहसील बिलाडा की जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खाता सं. 248 में खसरा सं. 201/12 रकबा 0.7686 हैक्टयर में खातेदार इन्द्रा पत्नी भीयाराम जाति सीरवी के नाम दर्ज है। प्रार्थीया बैचाननामा की प्रति स्वयं प्रस्तुत करें। राजस्व लट्ठा नक्शा में प्रार्थीया के खसरा नंबर 201/12 की तरमीम नहीं हो रखी है। पटवारी हल्का पिचियाक द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार प्रार्थीया के खेत खसरा नंबर 201/12 रकबा 0.7686 हैक्टयर की मौके पर कब्जे अनुसार ऑनलाईन नक्शे में तरमीम किया जाना प्रस्तावित है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम जसवंतपुरा के खसरा नंबर 201/12 रकबा 0.7686 हैक्टयर की तरमीम वर्तमान में मौके पर कब्जे अनुसार व पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार ऑनलाईन नक्शे में किया जाना उचित है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर मनन एवं अध्ययन किया गया। जिससे विदित होता है कि ग्राम जसवन्तपुरा तहसील बिलाडा के खसरा सं. 201/12 रकबा 0.7686 हैक्टयर प्रार्थीया की रेकर्डेड खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि प्रार्थीया द्वारा दिनांक 12.07.2022 को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा द्वारा खरीद की है। प्रार्थीया द्वारा उपरोक्त खसरे की भूमि का लट्ठा ट्रेस में तरमीम होना बताया जबकि तहसीलदार बिलाडा की रिपोर्ट की अनुसार उक्त भूमि का लट्ठा ट्रेस में तरमीम नहीं होना बताया गया। अतः प्रार्थीया द्वारा अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण में चाहे गये अनुतोष के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत हो कि वादग्रस्त भूमि लट्ठा ट्रेस में तरमीम हो। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

प्रार्थीया का प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रार्थीया द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुरूप/सुसंगत नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13/07/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा